न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 33/2024 बउनवानी मनोज कुमार जैन,बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर,बौंली निवासी नेहा विला महावीर मार्ग, बौंली GCMS No-2024/76

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
31.7.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उप जिला कलेक्टर बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— **उपजिला कलेक्टर न्यायालय बौंली मे चल रहे वाद संख्या 65/10 मे से निम्न नकल** 1. जवाब दावा मय शपथ पत्र शंकरलाल/कल्याणी दिनांक 8.11.2010 2. जवाब दावा मय शपथ पत्र रमेशचन्द दिनांक 20.4.2011 3. रमेशचन्द का समझौता पत्र खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 12.1.2024 4. मनोज कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.2.2024 के साथ संलग्न "मार्क एबीसीडी" नजरी नक्शा 5. मनोज कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत दावा पत्र 65/10 दिनांक 29.9.2010 के साथ " मार्क एबीसीडी" नजरी नक्शा एवं दस्तावेजो की सूची। 6. आदेशिका दिनांक 14.7.2023 से 26.3.2024 तक **उपजिला कलेक्टर न्यायालय बौंली मे चल रहे वाद संख्या 65/10 मे से निम्न नकल** 1. मनोज कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.2.2024 के साथ संलग्न "मार्क एबीसीडी" नजरी नक्शा 2. जवाब प्रार्थना पत्र आदेश नियम 6/17 मय शपथ पत्र शंकरलाल/कल्याणी दिनांक 14.7.2023 3. सीपीसी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अस्थाई निषधाज्ञा दिनांक 7.7.2023 4. मनोज कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 43/10 दिनाक 29.9.2010 के साथ संलग्न "मार्क एबीसीडी" नजरी नक्शा एवं दस्तावेजों की सूची। 5. दिनांक 1.4.2022 को लागू पंजीयत भूमि पर कब्जा नही होने पर नामा0 खोलने के नियम/निर्देश का परिपत्र उपलब्ध कराना है। सामान्य सूचनाऐः— 6. कृषि भूमि के नामा0 खोलने हेतु ग्राम पंचायत कितने दिन तक अधिकृत रहती है? तत्सबंधी परिपत्र/नियम की प्रति उपलब्ध करावे। 7. कृषि भूमि के तहसीलदार को नामा0 खोलने का अधिकार कितने दिन बाद होता है ? तत्सबंधी परिपत्र/नियम उपलब्ध करावे। 8. नामा0 खोलने से पूर्व जमीन का कब्जा रिपोर्ट इत्यादि की रिपोर्ट लेने के संबंध में जारी राज्य सरकार के परिपत्र/निर्देशो की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी है। 9. वाके ग्राम रवासा के गत खसरा नम्बर 19/1 रकबा 10 बीघा संबंधी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत एवं दर्ज समस्त सीएमओ परिवादो/राजस्व मण्डल परिवादो/लोकायुक्त सचिवालय परिवादो में पटवारी हल्का बांस टोरडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, तहसीलदार बौंली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर को भेजी गयी सभी जॉच रिपोर्टस की सत्[illegible]ब्ध करानी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.1()()/आरटीआई/सूचना/4572 दिनांक 24.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.4.2024 मे चाही गयी सूचना जरिये पत्रांक प.11()()आरटीआई/सूचना/2024/3526 दिनांक 29.5.2024 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.4.2024 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है इस संबंध में अपीलान्ट को विषयवस्तु से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना कोर्टस मैन्युअल,1956 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार नियमानुसार आवेदन कर सूचना प्राप्त करे। अतः अपीलान्ट को चाहिऐ कि वह कोर्टस मैन्युअल के प्रावधानानुसार सूचनाऐं प्राप्त करे साथ ही लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौंली को भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त सूचनाओ मे से कोई सूचना कोर्ट मैन्युअल मे नही दी जा सके तो ऐसी सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध करावे। साथ ही बिन्दु संख्या 6 लगायत 10 के क्रम में दिया गया जवाब उचित नही है अतः पुनः परीक्षण कर सही जवाब दिया जावे अथवा सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner